

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 30-3-17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण एवं उसके संयोजन कार्य हेतु ₹1473.81360 लाख (चौदह करोड़ तिहत्तर लाख ईक्यासी हजार तीन सौ साठ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 28.08.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 28.08.2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण एवं उसके संयोजन कार्य हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के ज्ञापांक- 525, दिनांक- 23.02.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राकलन एवं बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के पत्रांक- 1515, दिनांक- 19.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गए जलापूर्ति केन्द्रों की सूची के आलोक में ₹1473.81360 लाख (चौदह करोड़ तिहत्तर लाख ईक्यासी हजार तीन सौ साठ रु०) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 28.08.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 28.08.2015 द्वारा ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

2. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक- 12804, दिनांक- 10.12.2016 द्वारा अवशेष राशि ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-356
दिनांक-30.01.17 के आलोक में तत्काल ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान
के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	जलापूर्ति केन्द्र का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	शिवपुरी पार्क कैम्पस में	1473.81360	736.90680	610.00	126.90680
2	कृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क कैम्पस में				
3	गर्दनीबाग रोड नं०- 15 में गेट पब्लिक लाइब्रेरी के कैम्पस के दूसरे छोर में				
4	दीधा (एन कॉलेज परिसर में)				
5	मंगल तालाब सामुदायिक भवन के आगे पश्चिम साईड में				
6	तुलसी मंडी के महाराजगंज चौकी के पीछे				
7	शिवपुरी (महेन्द्र) SCERT के ठीक बगल पश्चिम साईड में				
8	कांग्रेस मैदान पार्क के दूसरी छोर पर				
9	लालजी टोला के प्राथमिक विद्यालय के कैम्पस में				
10	तिवारी बेचर कंकड़बाग नं०- 02 में वर्तमान जलापूर्ति केन्द्र के कैम्पस में				
11	सेक्टर-03, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड में वर्तमान जलापूर्ति केन्द्र के कैम्पस में				
12	वार्ड नं०-24 में दुजरा मेन रोड गेट सं०- 04, प्राथमिक विद्यालय के पास				

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

4

5. (क) उक्त आवंटित कुल राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र में ₹510.00 लाख (पाँच करोड़ दस लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0101-पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायो को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011910101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

(ख) उक्त आवंटित कुल राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायो को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215017890101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

6. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा तैयार किए गये प्राकलन के शर्तों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद, पटना की होगी।

9. सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4

11. राशि का आवंटन इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।
12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. जिला पदाधिकारी, पटना एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
16. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(30/3/17)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-03/2015 357 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(30/3/17)

सरकार के विशेष सचिव।

आप्त. 15/11

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 30-3/17
विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण एवं उसके संयोजन कार्य हेतु ₹1473.81360 लाख (चौदह करोड़ तिहत्तर लाख ईक्यासी हजार तीन सौ साठ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 28.08.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 28.08.2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण एवं उसके संयोजन कार्य हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के ज्ञापांक- 525, दिनांक- 23.02.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राक्कलन एवं बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के पत्रांक- 1515, दिनांक- 19.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गए जलापूर्ति केन्द्रों की सूची के आलोक में ₹1473.81360 लाख (चौदह करोड़ तिहत्तर लाख ईक्यासी हजार तीन सौ साठ रु०) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०- 38, दिनांक- 28.08.2015 एवं आवंटनादेश सं०- 39, दिनांक- 28.08.2015 द्वारा ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

2. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक- 12804, दिनांक- 10.12.2016 द्वारा अवशेष राशि ₹736.90680 लाख (सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार छः सौ अस्सी रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

U

3. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के उक्त अनुरोध के आलोक में तत्काल ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जलापूर्ति केन्द्र का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	शिवपुरी पार्क कैम्पस में	1473.81360	736.90680	610.00	126.90680
2	कृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क कैम्पस में				
3	गर्दनीबाग रोड नं०- 15 में गेट पब्लिक लाइब्रेरी के कैम्पस के दूसरे छोर में				
4	दीघा (एन कॉलेज परिसर में)				
5	मंगल तालाब सामुदायिक भवन के आगे पश्चिम साईड में				
6	तुलसी मंडी के महाराजगंज चौकी के पीछे				
7	शिवपुरी (महेन्द्र) SCERT के ठीक बगल पश्चिम साईड में				
8	कांग्रेस मैदान पार्क के दूसरी छोर पर				
9	लालजी टोला के प्राथमिक विद्यालय के कैम्पस में				
10	तिवारी बेचर कंकड़बाग नं०- 02 में वर्तमान जलापूर्ति केन्द्र के कैम्पस में				
11	सेक्टर-03, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड में वर्तमान जलापूर्ति केन्द्र के कैम्पस में				
12	वार्ड नं०-24 में दुजरा मेन रोड गेट सं०- 04, प्राथमिक विद्यालय के पास				

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

4

5. (क) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र में ₹510.00 लाख (पाँच करोड़ दस लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0101-पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायो को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011910101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

(ख) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹610.00 लाख (छः करोड़ दस लाख रु०) मात्र में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायो को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215017890101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

6. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा तैयार किए गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद, पटना की होगी।

9. सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4

11. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।
12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. जिला पदाधिकारी, पटना एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
16. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
17. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/जला०-01-03/2015 के पृष्ठ सं०-.....66...../टि० पर दिनांक-30.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-67...../टि० पर दिनांक-30.03.2017 को प्राप्त है।
18. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature) 30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-03/2015 356 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 30-3-17
 प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature) 30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आप्त - 4/17